कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद फतेहपुर

प्रेस- नोट, जनपद फतेहपुर

दिनांक 24.07.2026

थाना हुसैनगंज व थाना चांदपुर पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में थाना हुसैनगंज क्षेत्र में हुई पुलिस मुठभेड़ के दौरान मंदिरों से घंटे-घंटियों की चोरी करने वाले अन्तर्जनपदीय एक शातिर अभियुक्त घायलावस्था में गिरफ्तार। अभियुक्त के कब्जे/निशानदेही पर चोरी की 17 पीतल की छोटी/बड़ी घंटे-घंटियां, एक अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जिन्दा कारतूस, 01 खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त औजार (कटर, पेंचकस एवं रिंच) तथा कानपुर नगर से चोरी की गई एक मोटरसाइकिल बरामद।

जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक फतेहपुर के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी जाफरगंज के कुशल नेतृत्व में थाना हुसैनगंज व थाना चांदपुर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए मुठभेड़ में 01 शातिर अभियुक्त घायलावस्था में गिरफ्तार।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

थाना हुसैनगंज – दिनांक 11.07.2026 को वादी श्री प्रार्थी कुमार महर्षि पुत्र स्व0 शिवकुमार निवासी ग्राम- गोपालपुर खुरहट थाना- हुसैनगंज जनपद- फतेहपुर द्वारा थाना हुसैनगंज पर तहरीरी सूचना दी कि रामचन्दन घाट में कई मन्दिरों की देखरेख करता हूँ आज रात्रि में अज्ञात चोरों द्वारा मन्दिरों में लगे छोटे-बड़े घण्टे-घण्टियों जो ग्यारह थी को अज्ञात चोर चुरा ले गये जब सुबह मन्दिर पहुँचा तो इसकी जानकारी हुई, प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना हुसैनगंज पर मु0अ0सं0 147/2026 धारा 303(2) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया।

व दिनांक 11.07.2026 को वादी श्री प्रदीप कुमार निवासी ग्राम कुल्हरपुरवा, पोस्ट–नौगाँव, थाना हुसैनगंज, जनपद फतेहपुर द्वारा थाना हुसैनगंज पर प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया गया कि उनके पिता द्वारा गाँव के बाहर भगवान शंकर जी के मंदिर का निर्माण कराया गया है, जिसकी देखरेख उनके परिवार द्वारा की जाती है। रात्रि के दौरान अज्ञात चोरों ने मंदिर में लगे लगभग 05 किलोग्राम एवं 500 ग्राम वजनी दो पीतल के घंटे चोरी कर लिए तथा मंदिर में स्थापित मूर्तियों को क्षतिग्रस्त कर दिया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना हुसैनगंज पर मु0अ0सं0 148/2026, धारा 303(2)/298 बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

थाना चांदपुर- दिनांक 24.07.2026 को वादी श्री संतोष कुमार त्रिवेदी पुत्र स्व० श्री उमाशंकर त्रिवेदी, निवासी ग्राम बरमपुर, थाना चांदपुर, जनपद फतेहपुर द्वारा थाना चांदपुर पर लिखित तहरीर देकर अवगत कराया गया कि उनके ग्राम स्थित भिलौरी माता मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु लगाए गए लगभग 10 घंटे तथा मंदिर के मुख्य द्वार पर लगी दानपेटी को दिनांक 23.07.2026 की रात्रि में किसी अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर लिया गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 138/2026, धारा 331(4)/305 बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है।

मुठभेड़ एवं गिरफ्तारी का विवरण:- आज दिनांक 24.07.2026 को मुकदमा उपरोक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त महेश पुत्र जगतपाल निवासी ग्राम अजईपुर थाना खागा जनपद फतेहपुर, उम्र करीब 35 वर्ष, को गिरफ्तार कर पूछताछ की गयी। पूछताछ के दौरान अभियुक्त द्वारा दिनांक 10/11.07.2026 की रात्रि रामचन्द्रन घाट पर स्थित मन्दिरों एवं ग्राम कुल्हरपुरवा स्थित शिव मन्दिर से तथा दिनांक 23.07.2026 की रात्रि ग्राम बरमपुर थाना चाँदपुर स्थित मन्दिर से पीतल की घण्टियाँ चोरी करना स्वीकार किया गया तथा चोरी की गयी समस्त घण्टियों को एक स्थान पर छिपाकर रखना बताया गया। अभियुक्त के कब्जे से कानपुर शहर के रेलबाजार क्षेत्र से चोरी की गयी मोटरसाइकिल संख्या UP78 GQ 9899 भी बरामद की गयी। ग्राम बरमपुर थाना चाँदपुर स्थित मन्दिर में चोरी के सम्बन्ध में थाना चाँदपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 138/2026 धारा 331(4)/305 बीएनएस के सम्बन्ध में प्रभारी निरीक्षक थाना हुसैनगंज द्वारा थानाध्यक्ष चाँदपुर को दूरभाष के माध्यम से अवगत कराया गया, जिसके उपरान्त थाना हुसैनगंज एवं थाना चाँदपुर की संयुक्त पुलिस टीम अभियुक्त को साथ लेकर चोरी गये माल की बरामदगी हेतु रवाना हुई। थाना हुसैनगंज क्षेत्रांतर्गत ग्राम नौगाँव के पास नहर पुलिया से 100 मीटर आगे बरामदगी के दौरान अभियुक्त महेश द्वारा चोरी की घंटियों के झोले में **पूर्व से ही छिपाकर रखे लोडेड अवैध तमंचे** को अचानक निकालकर पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। । पुलिस टीम द्वारा प्रशिक्षित तरीके से अपना बचाव करते हुए आत्मरक्षार्थ की गयी जवाबी कार्यवाही में एक फायर से अभियुक्त के बायें पैर में गोली लग गयी, जिससे वह मौके पर गिर पड़ा। पुलिस टीम द्वारा अदम्य साहस का परिचय देते हुए अभियुक्त को सुरक्षित कब्जे में लिया गया। अभियुक्त के कब्जे 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर, 01 अदद खोखा कारतूस व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर एवं चोरी की गयी मन्दिरों की पीतल की घण्टियाँ बरामद की गयीं। अभियुक्त को तत्काल उपचार हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हुसैनगंज भेजा गया तथा फील्ड यूनिट टीम को मौके पर बुलाकर आवश्यक साक्ष्य संकलित कराये गये। अभियुक्त द्वारा पुलिस टीम पर किये गये जानलेवा हमले के सम्बन्ध में थाना हुसैनगंज पर मु0अ0सं0 166/2026 धारा 109(1) बीएनएस एवं 3/25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। साथ ही, मन्दिर चोरी के प्रकरणों में बरामदगी के आधार पर सम्बन्धित अभियोगों में आवश्यक धाराओं की वृद्धि करते हुए अग्रिम विधिक कार्यवाही नियमानुसार प्रचलित है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ में अभियुक्त महेश रैदास ने बताया कि वह आर्थिक लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से सुनसान स्थानों पर स्थित मंदिरों की पहले रेकी करता था तथा रात्रि में मंदिरों से पीतल के घंटे-घंटियां एवं अन्य धातु के सामान चोरी करता था। चोरी के दौरान वह कटर, पेंचकस एवं रिंच का प्रयोग करता था तथा चोरी किए गए सामान को सुरक्षित स्थान पर छिपाकर बाद में कबाड़ियों को बेच देता था। अभियुक्त ने स्वीकार किया कि उसने थाना हुसैनगंज एवं थाना चांदपुर क्षेत्र के मंदिरों से पीतल के घंटे-घंटियां चोरी की थीं। उसकी निशानदेही पर चोरी के 17 छोटे-बड़े पीतल के घंटे एवं चोरी में प्रयुक्त उपकरण बरामद हुए। अभियुक्त ने यह भी बताया कि घटनाओं को अंजाम देने एवं आवागमन के उद्देश्य से बरामद मोटरसाइकिल उसने थाना रेलबाजार, जनपद कानपुर नगर क्षेत्र से चोरी की थी। उसने यह भी स्वीकार किया कि गिरफ्तारी से बचने के लिए वह अपने पास अवैध तमंचा रखता था तथा उसी तमंचे से बरामदगी के दौरान पुलिस टीम पर फायरिंग की थी। पूछताछ से प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के आधार पर अग्रिम विधिक एवं विवेचनात्मक कार्यवाही की जा रही है।

घायल/गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1. महेश पुत्र जगतपाल निवासी ग्राम अजईपुर थाना खागा जनपद फतेहपुर उम्र करीब 35 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

1. 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर, 01 अदद खोखा कारतूस व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर,

2. 01 अदद बड़ा घण्टा व 05 अदद छोटी घण्टियाँ पीली धातु सम्बन्धित मु0अ0सं0 147/2026 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस

2. 01 अदद घण्टी पीली धातु व 01 अदद कटर, 01 अदद पेंचकस, 01 अदद रिन्च से सम्बन्धित मु0अ0सं0 148/2026 धारा 303(2)/317(2)/298 बीएनएस थाना हुसैनगंज

3. 10 अदद घण्टियाँ पीली धातु मु0अ0सं0 138/2026 धारा 331(4)/305 बीएनएस थाना चाँदपुर जनपद फतेहपुर से सम्बन्धित

4. एक मोटर साइकिल

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 11/2016 धारा 394/411 भादवि थाना हुसैनगंज जनपद फतेहपुर,
2. मु0अ0सं0 466/2014 धारा 323/325/504 भादवि थाना खागा जनपद फतेहपुर,
3. मु0अ0सं0 20/2016 धारा 379 भादवि थाना खागा जनपद फतेहपुर,
4. मु0अ0सं0 190/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना खागा जनपद फतेहपुर,
5. मु0अ0सं0 44/2016 धारा 392 भादवि थाना कोतवाली जनपद फतेहपुर,
6. मु0अ0सं0 58/2016 धारा 307 भादवि थाना कोतवाली जनपद फतेहपुर,
7. मु0अ0सं0 60/2016 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली जनपद फतेहपुर,

8. मु0अ0सं0 240/2016 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना कोतवाली जनपद फतेहपुर,

9. मु0अ0सं0 445/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट व 317(2) बीएनएस थाना कोतवाली फतेहपुर,

10. मु0अ0सं0 147/2026 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना हुसैनगंज जनपद फतेहपुर,

11. मु0अ0सं0 148/2026 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना हुसैनगंज जनपद फतेहपुर

12. मु0अ0सं0 125/2026 धारा 303(2) थाना रेल बाजार कमिश्नरेट कानपुर नगर

13. मु0अ0सं0 138/2026 धारा 331(4)/305/317(2) बीएनएस थाना चाँदपुर जनपद फतेहपुर

14.मु0अ0सं0 166/2026 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना हुसैनगंज फतेहपुर

गिरफ्तार करने वाली टीम-

टीम- 1. थाना हुसैनगंज पुलिस टीम

टीम- 2. थाना चांदपुर पुलिस टीम